कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)

www.raipur.dcourts.gov.in **e-mail: raipur.court@nic.in**
Phone: 0771- 2426742, FAX: 2445457

निविदा की शर्तें

1– निविदा सीलबंद लिफाफे के उपर ''प्रिंटर मॉडल एच. पी. (HP) 4004 डी. डब्ल्यू के कार्टरीज मॉडल 152–ए हेतु निविदा'' लिखी जाकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को संबोधित करते हुए लिफाफे के बायीं ओर स्वयं का पूरा पता एवं टेलीफोन/मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. अंकित कर सुरक्षा निधि की राशि 10000/– रूपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ निविदा आवेदनपत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डॉक/कोरियर सेवा के माध्यम से दिनांक 26 फरवरी 2024 के सांय 05:00 बजे तक प्रेषित की जा सकेगी । दिनांक 26 फरवरी 2024 के सांय 05:00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त निविदा आवेदन लिफाफे पर ही विचार किया जावेगा ।

2– निविदायें खोलते समय निविदाकार अथवा उसके व्दारा अधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष उपस्थित रह सकतें हैं । निर्धारित तिथि को निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की दशा में क्रय समिति के व्दारा निविदा खोली जावेगी ।

3– प्रदान किया गया कार्टरीज मापदंड के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं किये जाने का अधिकार इस कार्यालय को होगा ।

4– कार्टरीज की दर सभी प्रकार के कर को मिलाकर होगी, निविदाकार को कार्टरीज के पूर्ण विवरण एवं कर ईत्यादि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करना होगा ।

5– प्राप्त निविदा को स्वीकार किये जाने अथवा बिना कोई कारण बताये अस्वीकार किये जाने का संपूर्ण अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के अधीन होगा।

6– निविदा प्राप्ति के अंतिम दिवस के अगले दिवस दिनांक 27 फरवरी, 2024 को प्रातः 10:30 बजे सुबह निविदा खोली जावेगी यदि किसी अपरिहार्य कारण से निविदा नहीं खोली जा सकी तो आगामी कार्यदिवस पर खोली जावेगी ।

7– जिन फर्मों/ संस्थानों के व्दारा निविदा भरी जावेगी उनको संबंधित कंपनी के अधिकृत डीलर/विक्रेता/सुधारकर्ता होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

8– निविदा की शर्तें एवं निविदा प्रारूप जिला एवं सत्र न्यायालय, रायपुर की वेबसाईट **www.raipur.dcourts.gov.in** से डाउनलोड की जा सकती है ।

9– कार्टरीज में यदि कोई खराबी पाई जाती है तो उसके बदले में नवीन कार्टरीज प्रदान करने का भार सफल निविदाकार व्दारा किया जावेगा ।

12/2/24

10– सफल निविदाकार के सुरक्षा निधि की राशि के संबंध में प्रस्तुत डिमांड ड्राफ्ट इस कार्यालय के व्दारा अभिरक्षा में रखा जावेगा तथा शेष असफल निविदाकारों का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा ।

11– सफल निविदाकार को राशि का भुगतान कार्टरीज प्रदान करने तथा इंस्टालेशन की संतुष्टि के उपरांत ही किया जावेगा ।

12/2/24

अध्यक्ष
कय समिति
कार्या0–जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग.